"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 694] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019 —— कार्तिक 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक 11137/डी. 190/21—अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्र. 2 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 से 20 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ।

धारा 5 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 5 में, खण्ड (34-क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(34-क) "महापौर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो नगर पालिक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ हो और तत्पश्चात् जो नगर पालिक निगम के निर्वाचित पार्षदों द्वारा महापौर के रुप में निर्वाचित हुआ हो ;
(34-ख) "नगर पालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगर पालिक निगम का प्रादेशिक क्षेत्र जो राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित किया गया है;"

धारा 9 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 9 में,-
(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(क) महापौर;"
(दो) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जायेगा :

परन्तु महापौर, अध्यक्ष, किन्हीं विभागीय समितियों या अन्य समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।"?

धारा 11-क का संशोधन.

5. मूल अधिनियम में, धारा 11-क में, उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
"(4-क) ऐसी नगरपालिक निगमों में जहां, इस धारा के अनुसार, महापौर का पद, किसी विशेष प्रवर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्वाचित पार्षद, जो महापौर पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, महापौर के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह वार्ड, जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो या नहीं।"

6. मूल अधिनियम में, धारा 12 में, खण्ड (सी) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— **धारा 12 का संशोधन.**

"(डी) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

स्पष्टीकरण—1: इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है:

स्पष्टीकरण—2: इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (18—क) में उसके लिये समनुदेशित है।"

7. मूल अधिनियम में, धारा 14 में,— **धारा 14 का संशोधन.**

(एक) उप—धारा (1) में, शब्द "तथा महापौर" का लोप किया जाये;
(दो) उप—धारा (2) में, शब्द "तथा महापौर" का लोप किया जाये।

8. मूल अधिनियम में, धारा 14—क में, उप—धारा (1) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 14—क का संशोधन.**

9. मूल अधिनियम में, धारा 14—ख में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 14—ख का संशोधन.**

10. मूल अधिनियम में, धारा 14—ग में, खण्ड (ख) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये। **धारा 14—ग का संशोधन.**

11. मूल अधिनियम में, धारा 15 में,— **धारा 15 का संशोधन.**

(एक) शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में से एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"

12. मूल अधिनियम में, धारा 16 में,— **धारा 16 का संशोधन.**

(एक) उप—धारा (1) के खण्ड (क) का लोप किया जाये;
(दो) उप—धारा (4) का लोप किया जाए।

13. मूल अधिनियम में, धारा 17 में,— **धारा 17 का संशोधन.**

(एक) शीर्षक में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
(दो) उप—धारा (1) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
(तीन) उप—धारा (1) में, खण्ड (ख ख) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
(चार) उप—धारा (1) में, खण्ड (ड.) में, शब्द "महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और" का लोप किया जाये;
(पांच) उप—धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
(छः) उप—धारा (3) में, शब्द "या महापौर" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।

14. मूल अधिनियम में, धारा 17—ख में,— **धारा 17—ख का संशोधन.**

(एक) उप—धारा (1) में, शब्द "प्रत्येक महापौर तथा" लोप किया जाये;
(दो) उप—धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये; और
(तीन) उप—धारा (2) में, शब्द "महापौर या" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।

धारा 18 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम में, धारा 18 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना के पन्द्रह दिवस के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलिन बुलाएगा :

परंतु यह कि यदि किसी भी कारण से महापौर तथा/या अध्यक्ष का चुनाव एक ही बैठक में पंद्रह दिनों के भीतर पूर्ण नहीं हो सका हो, तो यह दो या अधिक बैठकों में पूर्ण किया जा सकेगा, किन्तु संपूर्ण प्रक्रिया धारा 22 के अधीन चुनाव की अधिसूचना के तीस दिनों की कालावधि के भीतर पूर्ण करना होगा।"

(तीन) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(3) उप–धारा (1) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जायेगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी । अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।"

(चार) उप–धारा (4) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 20 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम में, धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 23–क का संशोधन.

17. मूल अधिनियम में, धारा 23–क में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर या " अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द "महापौर या" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप–धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "महापौर, अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 24 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम में, धारा 24 का लोप किया जाये ।

धारा 422 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम में, धारा 422 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 441 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम में, धारा 441 में, उप–धारा (2) में, खण्ड (आ) में, उप–खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा।"

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक 11137/डी. 190/21–अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25–10–2019 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2019)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019.

An Ordinance to further amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventieth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2019.
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3 to 20 of this Ordinance.

Amendment of Section 5.

3. In the Principal Act, in Section 5, for clause (34-a), the following shall be substituted, namely:-
"(34-a) "mayor" means such person who should be an elected Councilor from some ward in the Municipal area, and who is elected thereafter as Mayor by the elected Councilors of the Municipal Corporation;"
(34-b) "municipal area" means the territorial area of a municipal corporation as is notified by the Governor under sub-section (2) of Section 7 of this Act;"

Amendment of Section 9.

4. In the Principal Act, in Section 9,–
(i) In sub-section (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
"(a) a Mayor;"
(ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:
"(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:
Provided that proceedings of election of Mayor, Speaker any departmental Committees or any of the Committee shall not be stayed, pending the election of such seat."

Amendment of Section 11-A.

5. In the Principal Act, in Section 11-A, after sub-section (4), the following shall be added, namely:-
"(4-a) In the case of Municipal Corporations where, in terms of this Section, the office of the Mayor is reserved for candidate from a specific category, any elected councilor belonging to such category for which the office of the Mayor is reserved, may become a candidate for the office of Mayor, irrespective of whether the ward he was elected from was reserved for such category or not."

Amendment of Section 12.

6. In the Principal Act, in Section 12, after clause (c), the following shall be added, namely:

"(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipality;

Explanation-1: For the purpose of this section 'Panchayat' shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994):

Explanation-2: For the purpose of this section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (18-a) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961)."

Amendment of Section 14.

7. In the Principal Act, in Section 14, —

(i) in sub-section (1), the words "and Mayors" shall be omitted;
(ii) in sub-section (2), the words "and Mayors" shall be omitted.

Amendment of Section 14-A.

8. In the Principal Act, in Section 14-A, in sub-section (1), for the word "Mayor", the word "Councilor" shall be substituted.

Amendment of Section 14-B.

9. In the Principal Act, in Section 14-B, for the word "Mayor", the word "Councilor" shall be substituted.

Amendment of Section 14-C.

10. In the Principal Act, in Section 14-C, in clause (b), the words "or a Mayor" shall be omitted.

Amendment of Section 15.

11. In the Principal Act, in Section 15,–

(i) the words "or Mayor" shall be omitted;
(ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:
"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilors."

Amendment of Section 16.

12. In the Principal Act, in Section 16,–

(i) clause (a) of sub-section (1) shall be omitted;
(ii) sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 17.

13. In the Principal Act, in Section 17, —

(i) in the heading, the words "or Mayor" shall be omitted;
(ii) in sub-section (1), the words "or Mayor" shall be omitted;
(iii) in sub-section (1), in clause (bb), the words "or Mayor" shall be omitted;
(iv) in sub-section (1), in clause (e), the words "is less than twenty-five years of age in the case of a Mayor and" shall be omitted.
(v) in sub-section (2), in marginal heading and body, the words "or Mayor", shall be omitted.
(vi) in sub-section (3), the words "or Mayor" wherever they occur shall be omitted.

Amendment of Section 17-B.

14. In the Principal Act, in Sections 17-B,—

(i) in sub-section (1), the words "Every Mayor and" shall be omitted;
(ii) in sub-section (1), before the word, "Speaker", the words "Mayor and" shall be inserted; and
(iii) In sub-section (2), the words "Mayor or" wherever they occur, shall be omitted.

15. In the Principal Act, in Section 18, — **Amendment of Section 18.**

(i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be inserted;

(ii) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: —

"(1) The State Election Commission shall, within fifteen days of the notification of election under Section 22, call a meeting of the elected Councilors for the purpose of electing a Speaker and Mayor:

Provided that if for any reason the election of the Mayor and/or the Speaker cannot be completed in a single meeting within fifteen days, the same may be completed in two or more meetings but the entire process must be completed within a period of thirty days of the notification of election under Section 22."

(iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Meeting under sub-section (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorized by the State Election Commission. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes the result shall be decided by lot."

(iv) in sub-section (4), before the word 'Speaker', the words 'Mayor and' shall be inserted.

16. In the Principal Act, in Section 20, in the Explanation, before the words "the Speaker", the words " the Mayor and " shall be inserted. **Amendment of Section 20.**

17. In the Principal Act, in Section 23-A,— **Amendment of 23-A.**

(i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor or" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1), before the word "Speaker" wherever it occurs, the words "Mayor or" shall be inserted; and

(iii) in sub-section (2), in clause (ii), for the word "Mayor", the words "Mayor, Speaker", shall be substituted.

18. In the Principal Act, Section 24 shall be omitted. **Amendment of Section 24.**

19. In the Principal Act, in Section 422, in sub-section (1), in clause (b), before the word 'Speaker', the words "Mayor and" shall be inserted. **Amendment of Section 422.**

20. In the Principal Act, in Section 441, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely: **Amendment of Section 441.**

"(iii) in the case of election of Mayor, by any elected Councilor."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.